तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थियां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत निवेदन किया कि उसके पति रेखाराम पुत्र उदाराम के नाम चक 4 LKD के मु.न. 127/47 के कि.नं.1,12,19,21 कुल 4 बीघा जरिये मि.न. 437 दिनांक 16.10.87 को बतौर स्माल पेच आवंटन हुआ जिसका आवंटन आदेश जारी करते समय सहवन से मु.नं. 127 की जगह 147 अंकित हो गया है जिसकी दुरूस्ती फरमाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पैरोकार राज तहसीलदार से जवाब तलब किया गया। पैरोकार राज ने पैरा संख्या 2 में मूल आवंटन पत्रावली व सैल रजिस्टर में मु.नम्बर 147 लिखा गया है यदि आवंटन पत्रावली में 147 के स्थान पर 127 किया जाता है तो सरकार को किसी प्रकार हानि नहीं बाबत जवाब पेश किया । प्रार्थयां के साक्ष्य सबूत लेकर दुरूस्ती की अनुषंशा की। प्रार्थियां की ओर से बतौर सबूत फार्म नम्बर 03 सूची दस्तावेज के साथ नक्शा चक 4 LKD के मु.नं. 127/47 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी सं. 2073–76 पर 4 LKD मु.नं. 127/47 के किला नं. 1,12,19,21 की प्रमाणित प्रति 4 LKD के खाता सं 25 सम्वत 2073–76 की प्रमाणित प्रति, चक 5 LKD के मु.नं. सं. 147/27 की मूल व खाता संख्या 83 84 की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 व खाता संख्या 137 पर 5 LKD की प्रमाणित प्रति पेश की शपथ पत्र प्रार्थियां, आवंटन प्रति चक 4 व 5 LKD सैल रजिस्टर प्रमाणित प्रति पेश की। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर के पत्रांक/ TRA /2019/1138 दिनांक 25.09.2019 जमाबन्दी के संलग्न है के अनुसार कुल 147/47 के किला नं. 1,12,19,22 कुल 4 बीघा अन्य खातेदारो के नाम दर्ज हैं। संलग्न मूल पत्राावली की छाया प्रति अनुसार प्राथी ने चक 4 LKD के मु.न. 127/47 के किला नं. 1,12,19,22 मुताबिक आवेदन पत्र दिनांक 29.06.1987 हैं चक 4 LKD के ब्लॉक 127/47 आराजीराज दर्ज है मूल आवंटन पत्राावली की छाया प्रति अनुसार रेखाराम पुत्र उदाराम के मु.नं. नम्बर 127/47 के स्थान पर 147/47 दर्ज हो गया जबकि जैसाराम के आवंटन आदेश में मु.नं. 127/47 दर्ज है। इस प्रकार मु.नं. 147/47 के स्थान पर 127/47 दुरूस्ती की सिफारिश की हैं। प्रकरण में मूल आवंटन आदेश में मु.न. दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया जिस पर जिला अभिलेखागार से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई मूल आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के पति/पिता रेखाराम पुत्र उदाराम जाट साकिन गोपल्यान ने चक 4 LKD के मु. नं. 127/47 के किला नम्बर 1,12,19,22 कुल 4 बीघा भूमि का लघू भूपट्ट[illegible] आवंटन हेतु आवेदन किया । प्रार्थना पत्र भी पुश्त पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार रेखा पुत्र उदा जाट साकिन गोपल्यान को मु.नं. 127/47 के किला नम्बर 10,11,20,21 कुल 4 बीघा अन कमाण्ड आवंटन है तथा किला नम्बर 3ता7,14,15,17 कुल 8बीघा रामचन्द पुत्र [illegible] जाट साकिन गोपल्यान को पुख्ता आवंटन हैं। किला नम्बर 1,2,8,9,12,13,18,19,22 कुल 9 बीघा अराजीराज है जिसमें किला नम्बर 1,12,19,22 कुल 4 बीघा रेखाराम व 5 बीघा जैसाराम की हैं। इसी प्रकार इसी पत्राावली में अन्य आवेदक जैसाराम पुत्र रामचन्द को प्रार्थना पत्र जिसमें मु. न. 127/47 के किला नम्बर 2,8,9,13,18 कुल 5 बीघा अराजीराज की रिपोर्ट दोनो प्रर्थना पत्रों में रिपोर्ट एक ही पटवारी की अंकित है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दोनो आवंटियों को 16.10.87 को आवंटन स्वीकार दिया जाकर आवंटन आदेश जारी किये गये।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.04 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज मूल आवंटन पत्रावली व संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी पर 4 LKD व 5 LKD के मु.न क्रमश 127/47 व 147/47 का अवलोकन किया । मु.नम्बर 147/47 चक 5 LKD में पडता है जिसके किला नम्बर 1,12,19,22 कुल 4 बीघा अन्य खातेदार के नाम जमाबन्दी सम्वत 2073–76 अनुसार दर्ज रिकार्ड है। मु.न 127/47 के किला नम्बर 1,12,19,22 कुल 4 बीघा आराजी राज दर्ज हैं। सैल रजिस्टर में प्रार्थी के पिता रेखाराम पुत्र उदाराम के नाम चक 4 LKD के मु.न.147/47 स्माल पेच आवंटन दिनांक 16.10.87 का अंकन है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता द्वारा आवेदन 127/47 भी दिया गया पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में आवंटन 127/47 का अंकन किया है परन्तु रिकॉर्ड में सहवन से 147/47 अंकित किये जाने से आवंटन व आवंटन आदेश 147/47 अंकित हो गया है, रकबा बतौर स्माल पेच आवंटन है रकबा आराजी राज हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मु.न.147/47 के स्थान 127/47 दुरूस्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रमाणित प्रति मूल आवंटन पत्राावली के साथ चस्पा की जाकर मूल पत्राावली वापिस जिला अभिलेखागार में जमा राई जावें। तहसीलदार लूनकरनसर को आदेश की प्रमाणित पत्रावली पालनार्थ प्रेषित की जावें कि आवंटी रेखाराम पुत्रा उदाराम के वारिसान गुड्डी देवी वगैरह के स्माल पेंच आवंटन चक 4 LKD के मु'नं.147/47 के किला नम्बर 1,12,19,22 कुल 4 बीघा अनकमाण्ड के स्थान पर 127/47 किला नम्बर 1,12,19,22 कुल 4 बीघा अनकमाण्ड पढ़ा जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हो।

19/7/2020

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.04 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested